झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–22 वर्ष 2017

शांति देवी, स्व0 हरिहर प्रसाद यादव की पत्नी, निवासी ग्राम–महऊडांड़, डाकघर एवं थाना– महऊडांड, जिला–लातेहार (झारखण्ड) 822119 .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची

3. उपायुक्त, लातेहार, डाकघर, थाना एवं जिला–लातेहार

4. प्रखण्ड विकास अधिकारी, बरियातु, डाकघर एवं थाना–बरियातु, जिला–लातेहार

5. जिला भविष्य निधि अधिकारी, लातेहार, डाकघर, थाना एवं जिला–लातेहार

6. महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), झारखण्ड, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री दीपक कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री भवेश कुमार, एस0सी0–II

और श्री रवि कुमार, एस0सी0–II का जे0सी0

उत्तरदाता–ए0जी0 के लिए :– श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता

02 / 14.02.2017 संलग्न रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ, अपने पति अर्थात् स्वर्गीय हरिहर प्रसाद यादव, जिनकी मृत्यु 12.12.2010 को हुई थी, के मृत्यु–सह–सेवानिवृत लाभों का भुगतान 5ः ब्याज के साथ करने के लिए और आगे याचिकाकर्त्ता के दिनांक 29.08.2016 के अंतिम अभ्यावेदन जिसमें याचिकाकर्त्ता ने अपने दिवंगत पति की मृत्यु–सह–सेवानिवृत लाभों के भुगतान के लिए प्रार्थना की है, को निपटाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्त्ता के पति को 09.01.1995 को बरियातु प्रखण्ड, जिला–लातेहार में पंचायत सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था और 12.12.2010 को उनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब प्रतिवादियों द्वारा उनके दिवंगत पति की मृत्यु–सह–सेवानिवृत लाभों के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था, तो अंत में याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादी सं0 3 के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बिहार सरकार द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 07.11.1981 के अनुसार याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत बकाया के विलंबित भुगतान पर 5ः ब्याज पाने का हकदार है।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए विवश होकर याचिकाकर्त्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आया है और यदि प्रतिवादी सं0 3 को उसके अभ्यावेदन के निपटान के लिए एक निर्देश जारी किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता की शिकायत का निवारण हो जाएगा।

4. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता उस कार्रवाई के लिए विरोध नहीं करते हैं।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों के मद्देनजर, रिट याचिका को निपटाया जाता है, प्रतिवादी सं0 3 को यह निर्देश देते हुए कि वे याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन का निपटारा करे और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/उत्पादन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक सकारण एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करे।

6. उक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)